(१८)

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एंव विभागाध्यक्ष
Office of Engineer-in-Chief (Dev.) &
Head of Department
उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ – 226001
UP PWD, Lucknow - 226001

96, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ – 2260
96, Mahatama Gandhi Marg, Luckn
Office : 0522-2237315, 22354
Fax No. : 0522-22367
e-mail : pwdeinc@gmail.co

पत्रांक 2647 प्र०अ०वि०/सामा-मवर्ग/60प्र०अ०वि०/2018 दिनांक 05/4/2018

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि स्थानीय अभियन्ताओं द्वारा अपने–अपने कार्य क्षेत्र में निर्मित पुलिया/सेतुओं का सामयिक निरीक्षण (Routine Inspection) नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप पुलिया/सेतु क्षतिग्रस्त होने से यातायात बाधित हो जाता है तथा आम जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई होती है। सामयिक निरीक्षण (Routine Inspection) किये जाने पर पुलिया/सेतुओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है।

प्रदेश में मार्गों और उन पर निर्मित सेतुओं का घनत्व बढ़ने तथा विगत वर्षों में निर्मित सेतुओं की आयु में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत् पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुये सामयिक निरीक्षण (Routine Inspection) हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :–

1. सेतुओं का सामयिक निरीक्षण (Routine Inspection) वर्ष में दो बार, वर्षा ऋतु से पूर्व एवं पश्चात अर्थात् **माह मई एवं नवम्बर** में IRC SP:35 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
2. सामयिक निरीक्षण (Routine Inspection) हेतु सम्बन्धित स्थानीय अभियन्ताओं का दायित्व निम्नवत् रहेगा :–

कमांक	सेतु की लम्बाई	निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारी
1	0 से 06 मी0 आर.सी.सी. पुलिया एवं समस्त प्रकार के ह्यूम पाइप पुलिया	अवर अभियन्ता
2	06 से 60 मी0	सहायक अभियन्ता
3	60 से 200 मी	अधिशासी अभियन्ता
4	200 से 500 मी0	अधीक्षण अभियन्ता
5	500 से अधिक	मुख्य अभियन्ता

3. मुख्य अभियन्तओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा मार्गों का निरीक्षण करते समय सेतु पंजिका एवं अवर/सहायक/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा किये गये सामयिक निरीक्षण (Routine Inspection) से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जायेगा एवं उसका उल्लेख अपनी निरीक्षण टिप्पणी में करेंगे।
4. सामयिक निरीक्षण (Routine Inspection) में यदि किसी पुलिया / सेतु में किसी प्रकार की समस्या इंगित की जाती है तो उक्त पुलिया/सेतु का मुख्य निरीक्षण

(Principal Inspection) उससे एक स्तर उपर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अपनी आख्या Rehabilitation प्रस्ताव/आगणन सहित अग्रसारित की जायेगी। 500 मी0 से अधिक लम्बाई के सेतु में उक्त मुख्य निरीक्षण (Principal Inspection) मुख्य अभियन्ता, सेतु, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

5. यदि मुख्य निरीक्षण (Principal Inspection) में पुलिया/सेतु के किसी भाग में ऐसा Distress प्रतीत होता है जिसे सामान्य मरम्मत से ठीक नही किया जा सकता है तो संबंधित मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, सेतु लो0नि0वि0, लखनऊ (जैसा जिसके अधिकार में है) द्वारा सेतु विशेषज्ञ एजेन्सी से विशेष निरीक्षण (Special Inspection) कराया जायेगा एवं तदनुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

ह0/-
(वी0 के0 सिंह)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0/नियोजन/ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)/(ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. मुख्य प्राविधिक परीक्षक, लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. महालेखाकार, वर्क्स, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. मुख्य अभियन्ता (मु0—1)/(मु0—2)/(सेतु)/(परिवाद)/(वि0/यॉ0)/(भवन)/(रा0मा0)/वाह्य सहायतित परियोजना/इण्डो—नेपाल बार्डर/पी0एम0जी0एस0वाई, लखनऊ।
7. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
8. निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0/राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
11. मुख्यालय पर तैनात समस्त वरिष्ठ स्टाफ आफिसर/अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता/निदेशक, अन्वेषणालय, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।

5/4/18

प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष